



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)

वित्तीय कार्यालय, सागर (म.प्र.) - 470 003
Finance Department, Sagar, (M.P.) - 470 003
Phone : 07582-265826 - Fax : 264236, 264163

क्र. : वित्त-लेखा / 2023/1815

दिनांक: 13.02.2023

अत्यंत-आवश्यक

14

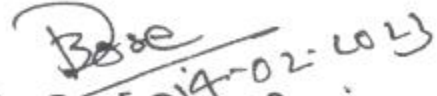
परिपत्र

विषय: परिवारिक सदस्यों (आश्रितों) की भ्रामक जानकारी प्रस्तुत किये जाने विषयक।

उक्त विषय पर प्रायः यह देखा जा रहा है कि वि.वि. के कुछ शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विभिन्न क्लेम (चिकित्सा, शिक्षा प्रतिपूर्ति, पी.एफ. आदि) प्रस्तुत किये जाते समय संबंधित आवेदन फार्म में अपने परिवार के संबंध में आयु, आश्रितता आदि के संबंध में भ्रामक जानकारी भरकर कार्यालय में प्रस्तुत की जा रही है, जोकि एक तरह की कूटरचना और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है और CS (CCA) Rules तथा CS (Conduct) Rules के अनुसार दण्डनीय है।

अतः सभी सम्मानित शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों से विनम्र आग्रह है कि किसी भी प्रकार का क्लेम फार्म भरते समय सावधानीपूर्वक नियमानुसार परिवार की सही जानकारी (आयु, आश्रितता व परिवार के सदस्यों की जानकारी आदि के संबंध में) प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में क्लेम निरस्त करते हुये संबंधित पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करायी जा सकेगी।

आदेशानुसार,


प्रभारी वित्ताधिकारी
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

प्रतिलिपि:-

1. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक/यंत्री/अधिकारी/प्रभारी/अनुभाग अधिकारी।
2. कुलपति जी के निजी सचिव के माध्यम से कुलपति जी को सूचनार्थ।
3. कुलसचिव जी को सूचनार्थ।
4. सभी सम्मानित शिक्षकगण।
5. सभी सम्मानित अधिकारीगण।
6. सभी सम्मानित कर्मचारी बंधु।
7. Web Cell - वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु